



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

**SITTING NOTICE**

File No. NCST/SER-1213/JH/26/2024-SSW

Dated:- 04.06.2024

सेवा में,

श्री चन्द्रशेखर,  
सचिव,  
ग्रामीण विकास विभाग  
झारखंड सरकार  
एफएफपी बिल्डिंग, रांची-834002  
Email:- sec\_rural\_jhr@nic.in Phone: 0651-2400244, 2360251

विषय:- जिला कार्यक्रम प्रबन्धक (Jharkhand State Livelihood Promotion Society), रांची द्वारा अनुसूचित जनजाति कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करने के संबंध में - श्री सुखदेव लोहरा (code - 3272), प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबन्धक, BMMU नगड़ी, रांची का दिनांक 25.10.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ:- NCST के समसंख्यक पत्र दिनांक 09.01.2024

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए हॉल - युवराज, बीएनआर चाणक्य होटल, रांची - 834001 में दिनांक **14.06.2024** को **12:00 बजे** सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से सम्बंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/ दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्या के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिती को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

मिरांडा इंगुदम

(मिरांडा इंगुदम/Miranda Ingudam)

निदेशक / Director

Tel:- 011-20819841

Email:- [m.ingudam@sansad.nic.in](mailto:m.ingudam@sansad.nic.in)